न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	349/2016
सी.आई.एस नंबर	-	323/2016
CNR No.	-	RJBR130005682016
निर्णय दिनाँक	-	25.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	114/2016
पुलिस थाना	-	किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	(1) रामकरण पुत्र कालूलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी- घोडा चौक, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) (2) बबलू पुत्र रामकरण, उम्र 32 वर्ष, निवासी- घोडा चौक, थाना किशनगंज, जिला बाराँ (राज.) (3) सुरजा बाई पत्नी रामकरण, उम्र 65 वर्ष, निवासी- घोडा चौक, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सत्येन्द्र कुमार बैरवा व श्री अभिषेक बैरवा, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्तगण की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक		10.05.2016
एफ.आई.आर. की दिनाँक		10.05.2016
आरोप पत्र की दिनाँक		30.09.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक		14.11.2025
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		25.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक		25.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनाँक	-

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बिताई अवधि
01.	रामकरण	30.05.16	30.05.16	341, 323,	दोषमुक्त	-	दि.

				354 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.			30.5.16
02.	बबलू	30.05.16	30.05.16	341, 323, 354 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	-	दि. 30.5.16
03.	सुरजा बाई	30.05.16	30.05.16	341, 323, 34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	-	दि. 30.5.16

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	डॉ. सतीश अग्रवाल	चिकित्सकीय साक्षी
PW-2A	राजकरंता	परिवादिया/शिकायतकर्ता
PW-3	गायत्री बाई	चश्मदीद साक्षी
PW-4	प्रेम बाई	चश्मदीद साक्षी
PW-5	सूरजमल	औपचारिक साक्षी
PW-6	सत्यनारायण	औपचारिक साक्षी
PW-7	मोहम्मद हुसैन	अनुसंधान अधिकारी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.02A	तहरीरी रिपोर्ट
02.	प्र. पी.1 पी.ड.01	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र परिवादिया राजकरंता
03.	प्र. पी.2 पी.ड.02A	चाक एफ.आई.आर.
04.	प्र. पी.2 पी.ड.01	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूबा प्रेम बाई

05.	प्र. पी.3 पी.ड.02A, 06, 07	फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल
06.	प्र. पी.4 पी.ड.02A	बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. गवाह/पीडिता राजकरंता
07.	प्र. पी.05 पी.ड.07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी रामकरण
08.	प्र. पी.06 पी.ड.07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी बबलू
09.	प्र. पी.07 पी.ड.07	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी सुरजा
10.	प्र. पी.8 पी.ड.09	अंतिम प्रतिवेदन

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

निर्णय **दिनाँकः 25.03.2026**

1. **हस्तगत प्रकरण में दिनाँक 03.01.2026 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर धारा 341, 323, सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध से अभियुक्तगण रामकरण, बबलू व सुरजा बाई को बरुए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अब अभियुक्तगण रामकरण व बबलू के विरुद्ध धारा 354 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध का विचारण शेष है।**

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 10.05.2016 को परिवादिया/पीड़िता राजकरंता पत्नी सत्यनारायण ने उपस्थित पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि दिनाँक 10.05.2016 को दिन के 12 बजे वह और गायत्री बाई घर पर खाना बना रही थी। घर पर कोई नहीं था। सब लोग देवर चेतन की दुल्हन को लेने के लिए गए थे। उसी समय वह कण्डे लेने गई थी। अकेले में उसे देखकर रामकरण, मुकेश उसके साथ छेड़खानी करने लगे और उसके शरीर पर बैठ गए। वह चिल्लाने व रोने लगी तो उसकी देवरानी गायत्री आवाज सुनकर बचाने के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट की। उसके पेट पर लातों व घुसों से प्रहार किया। बाद में बबलू व नरेन्द्र ने कुल्हाडी व लकडी लेकर मारपीट की और रामकरण की पत्नी ने भी मारपीट की। शराब पीकर गाली-गलौच की और मण्डप के दिन भी पूरे मेहमानों के साथ गाली-गलौच की, घर के लाईट फोड़ दी और कमरे के टीन भी फोड़ दिए। रिपोर्ट करवाने किशनगंज आये तो पीछे से उसकी सास प्रेम बाई व जंवाई ओमप्रकाश के साथ भी मारपीट की। ओमप्रकाश को उसकी सास ने बचाकर घर में बंद कर दिया और बाद में उसकी सास किसी और को लेकर थाने आ गई........इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट

के आधार पर पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 114/2016 धारा 341, 323, 354, 34 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामकरण, बबलू के विरूद्ध धारा 341, 323, 354, 34 भा.दं.सं. तथा अभियुक्ता सुरजा बाई के विरूद्ध धारा 341, 323, 34 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामकरण, बबलू के विरूद्ध धारा 341, 323, 354, 34 भा.दं.सं. तथा अभियुक्ता सुरजा बाई के विरूद्ध धारा 341, 323, 34 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण रामकरण, बबलू को धारा 341, 323, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्ता सुरजा बाई को धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को पृथक-पृथक लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो, जिन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्तगण सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया/पीड़िता राजकरंता व मजरूबा प्रेम बाई के साथ मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की हैं तथा परिवादिया/पीड़िता राजकरंता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग किया है, जिसकी ताईद सभी गवाहान करते हैं और मजरूबान के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चोट प्रतिवेदन से होती है। इसलिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण रामकरण व बबलू को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो गया है। अपराध धारा 354, सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता काबिले राजीनामा नहीं होने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। पक्षकारों में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। परिवादिया सहित किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रामकरण व बबलू को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनाँक 10.05.2016 को समय 12.00 पी.एम. पर या इसके लगभग मौजा घोडा चौक थाना किशनगंज में सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादिया/पीड़िता श्रीमती राजकरंता की लज्जा भंग

करने के आशय से परिवादिया श्रीमती राजकरंता के ऊपर बैठकर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

9. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादिया/मजरूबा श्रीमती राजकरंता और मजरूबा प्रेम बाई घटना के कुछ समय बाद ही थाने पर उपस्थित पहुँचे और घटना की लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दर्ज करवायी, जिसमें उनके साथ मारपीट व छेडखानी करना बताया गया है, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर अभियुक्तगण को आरोपित किया गया है। उक्त को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 09 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है।

10. उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.02(a) राजकरंता है, जो परिवादिया/पीड़िता होकर शिकायतकर्ता भी है, ने लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित घटना की ताईद करते हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब 8-9 साल पहले दिन के 10-11 बजे वह और उसकी देवरानी गायत्री बाई खाना बना रहे थे। कण्डे खत्म हो जाने पर वह कण्डे लेने बाड़े में गई थी तो रामकरण और मुकेश गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट करने लग गए। उसके सिर में दी, उसकी छाती पर चढ़ गए और उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर रानी, भूरी, सूरजा और राजी आ गई, जिन्होंन भी उसके साथ मारपीट की। उसकी आवाज सुनकर उसकी देवरानी आ गई। वह बेहोश हो गई थी और उसकी देवरानी के साथ भी मारपीट की थी। उसने थाने पर रिपोर्ट दी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2, नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 व बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श पी.4 पर प्रत्येक पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह** स्वयं का बेहोश हो जाने से उसे निश्चित समय पता नहीं होना बताती है।

11. गवाह पी.ड.03 गायत्री बाई को अभियोजन की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि करीब 8-10 साल पहले दिन के 10-11 बजे उसकी जेठानी राजकरंता और वह खाना बना रहे थे। कण्डे खत्म हो जाने पर उसकी जेठानी कण्डे लेने गई तो उसकी जेठानी के काका ससुर रामकरण व मुकेश ने उसकी जेठानी के साथ मारपीट करने लग गए और छाती पर बैठ गए। उसे चिल्लाने की आवाज आयी जिसके बाद वह बचाने के लिए गई तो उसकी जेठानी नीचे गिरी हुई बेहोश मिली।

12. प्रकरण में अन्य चश्मदीद साक्षी पी.ड.04 प्रेम बाई है, जो भी अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देती है कि करीब 8-10 साल पहले दिन के 10-11 बजे उसकी बेटी के पति ओम जी ने बबलू से कहा कि तुमने राजकरंता को क्यों मारा, उन्होंने कहा कि तू भी आ जा। फिर उसने उसके जंवाई ओम जी को कमरे में बंद कर दिया, जिसको नहीं निकाला तो बबलू, रामकरण, नरेन्द्र व उनकी लड़कियों रानी, राजी, भूरी ने उनकी छत की सीमेंट के टिन तोड़ दिए और दरवाजे पर लठ्ठ मारे। इस प्रकार इस गवाह ने परिवादिया/पीड़िता राजकरंता के साथ अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़ करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

13. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.06 सत्यनारायण अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य देता है कि करीब 2016 में बारात गाँव पहुँच गई थी और लाड़ी को घर लेकर आ रहे थे। वह लाड़ी और मेहमान के साथ ही तो कुछ बच्चे उसे बुलाने आये

और बताया कि तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई है, जिस पर वह घर पहुँचा तो राजकरंता बेहोश पड़ी हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी भी मौके पर घटना के बाद पहुँचता है।

14. प्रकरण में गवाह पी.ड.05 सूरजमल औपचारिक साक्षी है, जो घटना से अनभिज्ञता जाहिर करता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

15. गवाह पी.ड.10 ओमप्रकाश पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है और अपने मुख्य परीक्षण में राजकरंता की रामकरण व बबलू से आपसी कहासुनी हो जाने तथा पारिवारिक मामला होने से राजीनामा हो जाने की साक्ष्य देता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

16. गवाह पी.ड.09 राम सिंह आरोप पत्र पेश करने का साक्षी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में दिनाँक 31.05.2016 को थानाधिकारी किशनगंज के पद पर कार्यरत होने के दौराने हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने तथा चार्जशीट प्रदर्श पी.8 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। इस गवाह से कोई सारवान जिरह नहीं की गई।

17. अब प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी पी.ड.07 मोहम्मद हुसैन अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में दिनूांक 10.05.2016 को थाना किशनगंज पर हेड कानि. के पद पर तैनात होने के दौराने हस्तगत प्रकरण में पत्रावली तफ्तीश हेतु प्राप्त होने पर गवाहान के बयान लेखबद्ध कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 मुर्तिब करने, मजरूबा राजकरंता व प्रेम बाई की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने, मुलजिमान को गिरफ्तार करने, संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. साहब किशनगंज को सुपुर्द करने की साक्ष्य देता है। इस गवाह से कोई सारवान जिरह नहीं की गई है।

18. इस प्रकार पी.ड.02(a) राजकरंता परिवादिया/पीड़िता है, जिसने घटना की की रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दर्ज करवायी है, जिसमें रामकरण, मुकेश द्वारा उसके साथ छेड़खानी करना और उसके शरीर के ऊपर बैठ जाना अंकित किया है, परंतु परिवादिया पी.ड.02(a) राजकरंता ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में रामकरण और मुकेश का उसकी छाती पर चढ़कर उसके कपड़े फाड़ देने का कथन किया है। परिवादिया ने अभियुक्तगण द्वारा उसके कपड़े फाड़ देने का तथ्य अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में अंकित नहीं किया है। साथ ही परिवादिया/पीड़िता राजकरंता के बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श पी.4 का अवलोकन करते हैं तो परिवादिया कथन करती है कि पीछे से उसके काकी ससुर आये और उन्होंने उसे गर्दन पकड़कर आड़ा पटक दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। परिवादिया अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श पी.4 में अभियुक्तगण का उसकी छाती पर बैठने के संबंध में कोई कथन नहीं करती है तथा केवल छेड़छाड़ करने का कथन करती है। इसके विपरीत परिवादिया पी.ड.02(a) राजकरंता अपने न्यायालय में हुए बयानों में छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करती है, केवल उसकी छाती पर चढ़ जाना और उसके कपड़े फाड़ देने का कथन करती है। इस प्रकार परिवादिया राजकरंता तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित तथ्यों, अपने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों व अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श पी.4 में

भिन्न-भिन्न कथन करती है। साथ ही परिवादिया अभियुक्तगण द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, ऐसा कथन नहीं करती है। परिवादिया राजकरंता ने अपने फटे हुए कपड़े अनुसंधान अधिकारी को दिए गए हो, ऐसा भी कोई कथन नहीं किया है और न ही परिवादिया/पीड़िता राजकरंता के फटे हुए कोई कपड़े अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान जप्त किए गए हैं।

19. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.03 गायत्री बाई अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि रामकरण व मुकेश ने उसकी जेठानी के साथ मारपीट की और छाती पर बैठ गए। उक्त साक्षी भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया/पीड़िता राजकरंता के साथ छेड़छाड़ की गई हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं करती है। उक्त साक्षी के बयानों व प्रतिपरीक्षण से यह प्रकट होता है कि वह घटना के बाद मौके पर पहुँचती है और उस समय परिवादिया उसे बेहोश पड़ी हुई मिलती है, अर्थात् जब गवाह पी.ड.03 गायत्री बाई मौके पर पहुँची तो घटना हो चुकी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयानों से प्रकट होता है कि उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी। साथ ही अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य कोई भी साक्षी परिवादिया/पीड़िता राजकरंता के साथ अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़ की गई हो, इस संबंध में कथन नहीं करते हैं। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इस प्रकार गवाहान के साक्ष्य में भारी विरोधाभास है, जिससे प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ संदेह उत्पन्न होता है, उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

20. इस प्रकार अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनाँक 10.05.2016 को समय 12.00 पी.एम. पर या इसके लगभग मौजा घोडा चौक थाना किशनगंज में सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादिया/पीड़िता श्रीमती राजकरंता की लज्जा भंग करने के आशय से परिवादिया श्रीमती राजकरंता के ऊपर बैठकर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः **अभियुक्तगण रामकरण व बबलू** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 354, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के आरोपों से **संदेह का लाभ** दिया जाकर **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

21. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 01.** रामकरण पुत्र कालूलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी- घोडा चौक, थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.), **02.** बबलू पुत्र रामकरण, उम्र 32 वर्ष, निवासी- घोडा चौक, थाना किशनगंज, जिला बाराँ (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 354, सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के आरोपों से **संदेह का लाभ** दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

22. **हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण रामकरण, बबलू व सुरजा बाई को धारा 341, 323, सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोपों से बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।**

23. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अंतर्गत अभियुक्तगण के माननीय अपील न्यायालय में उपसंजात होने हेतु पूर्व के पेश जमानत-मुचलके विस्तारित किये जाते हैं, जो निर्णय की दिनांक से 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

24. **<u>धारा 357-A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः-</u>** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से परिवादिया को धारा 357-A सीआर.पी.सी के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत अनुशंषा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण मे उक्त धारा के अधीन प्रतिकर बाबत अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

25. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)